भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3842

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

3842. श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेट फर्मों में प्लेसमेंट हासिल करने पर केंद्रित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की सफलता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण मार्कर माना जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि यद्यपि इन्हें 'राष्ट्रीय' विधि विश्वविद्यालय कहा जाता है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा इनकी स्थापना और आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है और इन्हें राज्य के वित्तपोषण में कमी के साथ राजनीतिक वातावरण में काम करना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अधिकांश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गंभीर संकट • का सामना कर रहे हैं क्योंकि इन विश्वविद्यालयों का 'राष्ट्रीय' चरित्र उनके छात्रों और शिक्षकों के महानगरीय जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से उपजा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) की पाठ्यक्रम को संबंधित संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है । विभिन्न विधियों और विधि शास्त्र पर सैद्धांतिक कक्षाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की प्रकृति और फॉर्मेट जिसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट, व्यावहारिक

प्रशिक्षण, मूट कोर्ट, अंतरविषय अनुसंधान, नैदानिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता आदि भी सम्मिलित होते है । एनएलयू के विद्यार्थियों को दिए जाने वाली इस गहन अभिव्यक्ति ने पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी, विधिक परामर्श, कन्विंसिंग सहित सभी प्रकार की मुकद्दमेबाज़ी को संभालने में उनकी व्यावसायिक योग्यता को पूरी तरह से विकसित करने में सहायता की है । भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अपने कानूनी उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में अधिवक्ता अधिनियम, 1961, जो विधिक शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों तथा विधि उपाधि की मान्यता के विनिश्चय से संबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन वर्ष 2008 में विधिक शिक्षा नियम विरचित किए हैं ।

(ख) और (ग) : एनएलयू की स्थापना राज्य अधिनियमितियों के माध्यम से की गई है । उन्हें अपने स्वयं के राजस्व उत्पन्न करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों से भूमि अवसंरचना के आवटन, वित्तीय अनुदानों और अन्य विकास सहायता से फायदा हुआ है । एनएलयू राज्य विधि की कृति है हालांकि उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों को खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा जो, विद्यार्थियों के प्रोफाइल को अवधारित करती है, के माध्यम से दाखिला प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, विधि शिक्षण को अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए, उन्हें शिक्षकों और कर्मचारिवृंद की भर्ती के साथ, पाठ्यक्रम के बनाने और उसके बार-बार पुनरीक्षण में समर्थ बनाने के लिए यथेष्ट स्वायत्तता प्रदान की गई है ।

****